रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 195] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 1970/ज्यैष्ठ 5, 1892
No. 195] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 1970/JYAISTHA 5, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May 1970

S.O. 1887.—Whereas under sub-section (1) of section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), read with sub-section (3) thereof, the Punjab University constituted under the Punjab University Act, 1947 (East Punjab Act 7 of 1947) shall, on and from the 1st day of November, 1966, continue to function and operate in those areas in respect of which it was functioning and operating immediately before that day, subject to such directions as may, from time to time, be issued by the Central Government, until other provision is made by law in respect of the said University;

And whereas under sub-section (2) of the said section 72, any such direction may include a direction that any law by which the said University is governed shall, in its application to that University, have effect, subject to such exceptions and modifications as may be specified in the direction;

And whereas for the purpose of carrying on the Executive Government of the said University which is vested in the Syndicate under sub-section (1) of section 20 of the Punjab University Act aforesaid, it is considered necessary that the Syndicate should have power to make rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sections (2) and (3), of the said Section 72, the Central Government hereby directs that the Punjab University Act, 1947 (East Punjab Act 7 of 1947), shall have effect subject to the following further modification, namely:—

In section 20 of the Punjab University Act aforesaid after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(5) The Syndicate may make such rules, not inconsistent with the provisions of this Act and the Regulations, as they may deem necessary, for carrying on the Executive Government of the University as specified in sub-section (1).".

[No. F. 17/14(9)/70-SR]

A. D. PANDE, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 25 मई, 1970

का० आ० 1887.—यतः पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 72 की उपधारा (3) के साथ पठित उस धारा की उपधारा (1) के अधीन पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 (1947 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 7) के अधीन गठित पंजाब विश्वविद्यालय 1 नवम्बर, 1966 को और से उन क्षेत्रों में जिनके बारे में वह उस दिन से ठीक पूर्व कृत्य कर रहा था और संचालित था, ऐसे निदेशों के अध्यधीन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाए, तब तक कृत्य करता रहेगा और संचालित रहेगा जब तक उक्त विश्वविद्यालय के बारे में विधि द्वारा अन्य उपबंध न किये जाए :

और यतः उक्त धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन, ऐसे किसी निदेश के अंतर्गत यह निदेश हो सकता है कि कोई विधि, जिससे उक्त विश्वविद्यालय शासित है, उस विश्वविद्यालय को अपने लागू होने के संबंध में, ऐसे अपवादों और उपांतरों के अध्यधीन प्रभावी होगी जो उस निदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए ;

और यतः उक्त विश्वविद्यालय के कार्य-प्रशासन को जो उपर्युक्त पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन सिंडीकेट में निहित है, चलाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक समझा जाता है कि सिंडीकेट को नियम बनाने की शक्ति होनी चाहिए;

अतः, अब, उक्त धारा 72 की उपधारा (2) और (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 (1947 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 7) निम्नलिखित अपर उपांतर के अध्यधीन प्रभावी होगा, अर्थात्:—

उपर्युक्त पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 20 में उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात:—

"(5) सिंडीकेट ऐसे नियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों से असंगत न हो और जिन्हें वह उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के कार्य प्रशासन को चलाने के लिए आवश्यक समझे" ।

[फा० सं० 17/14(9)/70—एस आर.]

ए० डी० पाण्डे, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970